

12 11/22

पुणे लोक अदालत  
 मालाबार मॅजिस्ट्रेट / पुणे लोक अदालत  
 किंवा मुताबिक रेकार्ड जांच की 2 दिनांक  
 अंतर्गत सैदा 136 CR Act स्वीकार किंवा  
 जात ही प्रथम सुलभ आहे 10 वारंवार  
 स्थान पर सुलभ आहे 10 वारंवार किंवा जांच  
 के आदेश किंवा सैदा आदेश प्रथम किंवा जांच  
 जांच 20. जांच किंवा सैदा पुणे लोक अदालत  
 सुधार होकर आहे वारंवार वारंवार सुधार  
 सुधार ही

सदस्य  
 पुणे लोक अदालत, पुणे  
 मालाबार

राजस्थान सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड़

—: आदेश :—

दिनांक 12.11.2022

राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प झालावाड़ में आज दिनांक 12.11.2022 को पत्रावली पेश हुई । प्रार्थना पत्र प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बिरियाखेड़ी, पटवार मण्डल तीतरवासा तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ की जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 में खाता सं० 66 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र०स०	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	बिरियाखेड़ी	66	कृष्णाबाई पत्नि बालकिशन	कृष्णाबाई पत्नि बालचन्द




उपखण्ड अधिकारी  
झालावाड़

दिनांक:-12.11.2022

क्रमांक:-

1. भूमिधारी तहसीलदार झालरापाटन/बकानी को भेज कर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. कृष्णाबाई पत्नि बालचन्द निवासी झालरापाटन



उपखण्ड अधिकारी  
झालावाड़